for Bisht Sir

(51)

Gmail

DPMU LUCKNOW <lkodpmu@gmail.com>

SUPPORTIVE SUPERVISION VEHICLE INFORMATION OF LUCKNOW

1 message

DPMU LUCKNOW <lkodpmu@gmail.com> Mon, Feb 5, 2018 at 9:22 AM
To: GM MIS <gmmisup@gmail.com>, gmmisnrhm <gmmisnrhm@gmail.com>
Cc: pmu_lko <pmu_lko@yahoo.co.in>

--
Please find attachment(s).

With Regards

(Arshad A. Ansari)
District Program Manager
District Program Management Unit
National Health Mission, Lucknow.

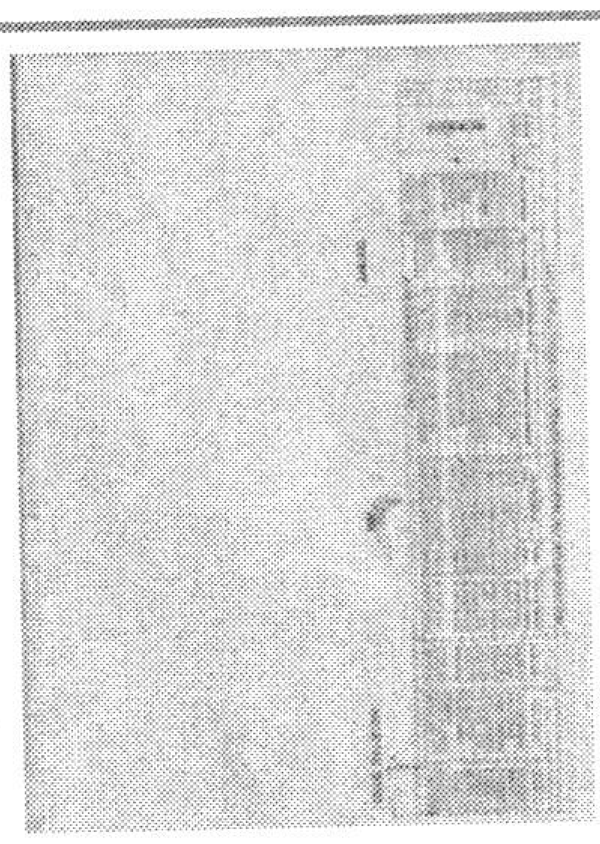

Supportive supervision vehicle information,lko.jpg
948K

Current Status of Vehicle under SUPPORTIVE SUPERVISION for 2017-18 AS ON 20.01.2018

Sl.No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Contract Period From	Contract Period To	Tender Rate	Name of Agency /Vehicle's owner	Mobile No.	Name of SUPDT.	Mobile No.
1	LUCKNOW	8	CHINHAT	INDIGO ECS LX	UP-32 EN,5389	UP/32/102/AITP/2015/2397	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.SURESH PANDEY	9453146331
2			Kakori	DATSUN GO	UP32-GN,8650	UP/32/102/AITP/2017/58	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.JYOTI KAMLE	8081367138
3			Sarojini Nagar	INDIGO LX	UP32-DN,1373	CC/STA/AI/2011/00609	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.ANIL KUMAR DIXIT	9452243857
4			Maal	INDIGO CS	UP32-FN,0185	UP/32/102/AITP/2015/2619	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.YOGENDER SINGH	9451954718
5			Gosaiganj	INDIGO ECE LX	UP-32 EN,8930	UP/32/102/AITP/2014/2279	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.HEMANT KUMAR	8004749727
6			Malihabad	INDIGO CS	UP-32DN,7752	CC/STA/AI/2012/04419	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.SHAHID RAZA	8874201726
7			Mohanlalganj	INDIGO	UP-32 FR,0030	CC/STA/AI/2017/00054	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.SHIV CHARAN HEMBREM	9918267363
8			Bakshi Ka Talab	INDIGO CS	UP-32DN,8873	CC/STA/UP/2016/00126	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.MILIND VERDHAN	8005193632
9			DISTRICT LEVEL	INDIGO ECS LX	UP-32FN,3060	UP/32/102/AITP/2015/3231	01.04.2017	31.03.2018	25000.00	Ms Max Services	9532237917	DR.AJAY RAJA	9415087988
10			DISTRICT LEVEL	AS PER REQUIREMENT ON DAILY BASIS									

DAM/DDM

DPM

CHIEF MEDICAL OFFICER

Gmail GM M & E <menrhm@gmail.com>

VEHICLE AGREEMENT FOR 2017-18,LUCKNOW

1 message

DPMU LUCKNOW <lkodpmu@gmail.com> Wed, Feb 14, 2018 at 9:43 PM
To: GM M & E <menrhm@gmail.com>, pmu_lko <pmu_lko@yahoo.co.in>

--

Please find attachment(s).

With Regards

(Arshad A. Ansari)
District Program Manager
District Program Management Unit
National Health Mission, Lucknow.

---

vehiclecontract-LUCKNOW.zip
3814K

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DD 011755

समक्ष : संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मोबिलटी उपयोगार्थ वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु

अनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निहित गतिविधियों उपयोगार्थ मासिक किराये के आधार पर, वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु विज्ञापित निविदा में अनुमोदित दरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मोबिलिटी उपयोगार्थ वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमत होने की दशा में यह अनुबन्ध–पत्र डा0 जी0 एस0 बाजपेई, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (प्रथम पक्ष) तथा श्री आर0 बी0 सिंह, प्रबन्धक/प्रोपराईटर, मेसर्स मैक्स सर्विसेज, सी–1417/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ (द्वितीय पक्ष) के मध्य निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्पादित किया जाता है :–

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध होने की तिथि से 3 दिवसों के अन्दर निश्चित चिकित्सालयों पर निविदा में उल्लिखित सेवायें उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी जिसका अनुपालन न किये जाने की दशा में प्रथम पक्ष एवं उसकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आर्थिक दण्ड अथवा प्रतिबन्ध लागू किया जायेगा जो प्रथम पक्ष को मान्य होगा तथा दण्ड स्वरुप धरोहर धनराशि ज़ब्त भी की जा सकती है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सामान्य रुप से वाहनों का चालन 8 Hours Per Day अथवा 2400 Km. प्रति माह (जिसमें वाहन चालक का वेतन, वाहन का रखरखाव एवं पी0ओ0एल0 इत्यादि सम्मिलित है) के फलस्वरुप निविदा में अनुमोदित दरानुसार Tata Indigo (AC Or Non AC) ₹. 29,600/- मासिक, Tata Indica (AC Or Non AC) ₹. 25,000/- मासिक तथा ₹. 1,000/- दैनिक एवं अन्य Luxury Vehicles (i.e. Xylo, Innova, Qualis, Bolero etc.- AC Or Non AC) हेतु ₹. 38,000/- मासिक तथा ₹. 1,800/- दैनिक की धनराशि देय होगी। दैनिक संचालन अवधि से अधिक चालन पर ₹. 80/- Per Hour तथा ₹. 9/- Per Km. की अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ केवल टैक्सी परमिट धारक एवं कामर्शियल वाहन ही उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त वाहनों का इकाईवार पूर्ण विवरण यथा वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर, वाहन का पंजीयन–पत्र, फिटनेस, इन्श्योरेन्स इत्यादि का पूर्ण विवरण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पैड पर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रथम पक्ष द्वारा लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन विगत 03 वर्षो से अधिक के पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस की वाहन लॉग–बुक/भ्रमण पंजिका का विवरण अंकित किया जायेगा जिसे उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा उपयोग के उपरान्त तुरन्त सत्यापित किया जायेगा।

For MAX SERVICES

Proprietor

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

क्रमशः पृष्ठ–2

6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके वाहन का उपयोग उक्त प्रयोजनार्थ केवल प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाये, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये गये वाहन के चालन के फलस्वरुप किसी प्रकार का मुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन को चालू हालत में रखने हेतु नियमित रूप से इसकी साफ सफाई व आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा। इस नियमित जाँच हेतु यदि वाहन को गैरेज में भेजा जाता है तो उस अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य समकक्ष वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे से अधिक समय तक न होने पर द्वितीय पक्ष को भुगतान की जाने वाली मासिक धनराशि में से रू0 1,000/– प्रति दिन की दर से अर्थ–दण्ड आरोपित किया जायेगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन चालक का मय वाहन सहित फोटो तथा स्वप्रमाणित वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाइल नम्बर की सूचना अनिवार्य रुप से प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. यह कि यह अनुबन्ध–पत्र दिनांक 01.04.2017 से अगली निविदा पूर्ण होने तक अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त ही अग्रिम अवधि तक सेवायें प्राप्त की जायेंगी। किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जनपद–लखनऊ होगा।

उपरोक्त नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर उभयपक्ष की आपसी सहमति के उपरान्त यह अनुबन्ध–पत्र आज दिनांक 01.04.2017 को निम्नलिखित गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरुरत काम आयें।

हस्ताक्षर–द्वितीय पक्ष
For MAX SERVICES
Proprietor
(आर0 बी0 सिंह)
पुत्र श्री राज बहादुर सिंह
निवासी भवन संख्या : सी–1417/4, इन्दिरा नगर,
तहसील–सदर, पुलिस स्टेशन–गाजीपुर
पोस्ट–आर0एस0एम0 नगर, जनपद–लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9532237917

हस्ताक्षर–प्रथम पक्ष
(डा0 जी0 एस0 बाजपेई)
संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9005192677

गवाह (द्वितीय पक्ष की ओर से)
श्री/श्रीमती/कु0 : मो० नसीम
पिता/पत्नी/पुत्री : सलामत अली
निवासी भवन संख्या : 8 विकासनगर
पुलिस स्टेशन विकासनगर
पोस्ट विकासनगर जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9919805863

गवाह (प्रथम पक्ष की ओर से)
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9415087988

.../mail/u/0/?ui=2&ik=1bb46a2769&jsver=RqHDBzBcPo...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DD 011755

समक्ष : संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मोबिलटी उपयोगार्थ वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु

अनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निहित गतिविधियों उपयोगार्थ मासिक किराये के आधार पर, वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु विज्ञापित निविदा में अनुमोदित दरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मोबिलिटी उपयोगार्थ वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमत होने की दशा में यह अनुबन्ध–पत्र डा0 जी0 एस0 बाजपेई, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (प्रथम पक्ष) तथा श्री आर0 बी0 सिंह, प्रबन्धक / प्रोपराईटर, मेसर्स मैक्स सर्विसेज, सी–1417 / 4, इन्दिरा नगर, लखनऊ (द्वितीय पक्ष) के मध्य निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्पादित किया जाता है :–

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध होने की तिथि से 3 दिवसों के अन्दर निश्चित चिकित्सालयों पर निविदा में उल्लिखित सेवायें उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी जिसका अनुपालन न किये जाने की दशा में प्रथम पक्ष एवं उसकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आर्थिक दण्ड अथवा प्रतिबन्ध लागू किया जायेगा जो प्रथम पक्ष को मान्य होगा तथा दण्ड स्वरुप धरोहर धनराशि ज़ब्त भी की जा सकती है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सामान्य रुप से वाहनों का चालन 8 Hours Per Day अथवा 2400 Km. प्रति माह (जिसमें वाहन चालक का वेतन, वाहन का रखरखाव एवं पी0ओ0एल0 इत्यादि सम्मिलित है) के फलस्वरुप निविदा में अनुमोदित दरानुसार Tata Indigo (AC Or Non AC) रु. 29,600/- मासिक, Tata Indica (AC Or Non AC) रु. 25,000/- मासिक तथा रु. 1,000/- दैनिक एवं अन्य Luxury Vehicles (i.e. Xylo, Innova, Qualis, Bolero etc.- AC Or Non AC) हेतु रु. 38,000/- मासिक तथा रु. 1,800/- दैनिक की धनराशि देय होगी। दैनिक संचालन अवधि से अधिक चालन पर रु. 80/- Per Hour तथा रु. 9/- Per Km. की अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ केवल टैक्सी परमिट धारक एवं कामर्शियल वाहन ही उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त वाहनों का इकाईवार पूर्ण विवरण यथा वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर, वाहन का पंजीयन–पत्र, फिटनेस, इन्श्योरेन्स इत्यादि का पूर्ण विवरण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पैड पर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रथम पक्ष द्वारा लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन विगत 03 वर्षो से अधिक के पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस की वाहन लॉग–बुक / भ्रमण पंजिका का विवरण अंकित किया जायेगा जिसे उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा उपयोग के उपरान्त तुरन्त सत्यापित किया जायेगा।

For MAX SERVICES

Proprietor

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

क्रमशः पृष्ठ–2

6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके वाहन का उपयोग उक्त प्रयोजनार्थ केवल प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाये, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये गये वाहन के चालन के फलस्वरुप किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन को चालू हालत में रखने हेतु नियमित रूप से इसकी साफ सफाई व आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा। इस नियमित जाँच हेतु यदि वाहन को गैरेज में भेजा जाता है तो उस अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य समकक्ष वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे से अधिक समय तक न होने पर द्वितीय पक्ष को भुगतान की जाने वाली मासिक धनराशि में से रू0 1,000/– प्रति दिन की दर से अर्थ–दण्ड आरोपित किया जायेगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन चालक का मय वाहन सहित फोटो तथा स्वप्रमाणित वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाइल नम्बर की सूचना अनिवार्य रुप से प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. यह कि यह अनुबन्ध–पत्र दिनांक 01.04.2017 से अगली निविदा पूर्ण होने तक अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त ही अग्रिम अवधि तक सेवायें प्राप्त की जायेंगी। किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जनपद–लखनऊ होगा।

उपरोक्त नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर उभयपक्ष की आपसी सहमति के उपरान्त यह अनुबन्ध–पत्र आज दिनांक 01.04.2017 को निम्नलिखित गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरुरत काम आयें।

हस्ताक्षर–द्वितीय पक्ष
MAX SERVICES
(आर0 बी0 सिंह)
पुत्र श्री राज बहादुर सिंह
निवासी भवन संख्या : सी–1417/4, इन्दिरा नगर,
तहसील–सदर, पुलिस स्टेशन–गाजीपुर
पोस्ट–आर0एस0एम0 नगर, जनपद–लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9532237917

हस्ताक्षर–प्रथम पक्ष
(डा0 जी0 एस0 बाजपेई)
संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9005192677

गवाह (द्वितीय पक्ष की ओर से)

श्री/श्रीमती/कु0 मो0 नसीम
पिता/पत्नी/पुत्री : सलामत अली
निवासी भवन संख्या : ई0 8 विकासनगर
पुलिस स्टेशन विकासनगर
पोस्ट विकासनगर जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9919805863

गवाह (प्रथम पक्ष की ओर से)

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर 9415087988